

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 65]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 फरवरी 2017—माघ 24, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2017

क्र. डी-15-12-2017-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 56 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल के द्वारा पारित आदेश क्रमांक-बी-6-नियमन-1-3-औबे-56-पार्ट-343-344, दिनांक 19 फरवरी 2016 से कृषि उपज मण्डी समिति औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन को एक वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए अतिष्ठित किया गया एवं मण्डी समिति के कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए आदेश क्रमांक-बी-6-नियमन-1-3-औबे-56-पार्ट-353-354, दिनांक 19 फरवरी 2016 से भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया है।

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 56 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, कृषि उपज मण्डी समिति औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन की अतिष्ठान की कालावधि दिनांक 15 फरवरी 2017 से आगामी छः मास के लिए बढ़ाई जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय गुप्ता, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2017

क्र. डी-15-12-2017-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 फरवरी 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय गुप्ता, उपसचिव.

Bhopal, the 13th February 2017

No. D-15-12-2017-XIV-3.—In exercise of the powers conferred under Section 56 sub-section (1) of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the Managing Director, Madhya Pradesh, State Agricultural Marketing Board has superseded the Krishi Upaj Mandi Samiti Obedullaganj, District Raisen *vide* Order No. B-6-Niyaman-1-3Obe-56-Part-343-344, dated, 19th February 2016 for a period not exceeding one year and appointed Officer-in-Charge *vide* order No. B-6/Niyaman-1-3-Obe-56-Part-353-354, dated 19th February 2016 to carryout the functions of Mandi Samiti.

In exercise of powers conferred under second provisio of Section 56 sub-section (1) of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby extend the period of supersession of the Krishi Upaj Mandi Samiti, Obedullaganj, District Raisen for further Six months from the date of 15th February 2017.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
AJAY GUPTA, Dy. Secy.